राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1495/2011/प्रतापगढ़

मैसर्स कान्जी बसन्तीलाल, सदर बाजार, धरियावाद, प्रतापगढ़ .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतापगढ़ .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे. एस. कोठारी
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 10.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग विशेष वृत, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) की धारा 82 RVAT Act., 2003 R/w 84 राजस्थान बिक्री अधिनियम, 1994 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विद्वान अपीलार्थी व्यवहारी का कथन है कि धारा 58 के तहत् बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने की शास्ति रूपये 16,580/– आरोपित किये जाने से पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः आरोपित शास्ति को अपास्त करने का निवेदन करते हुए राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा वा.क.अ. वर्क्स टैक्स, कोटा बनाम श्रीराम कन्सट्रक्शन कम्पनी के वाद में दिये गये न्यायिक निर्णय का उद्धरण प्रस्तुत किया। (2006) 16 टैक्स अपडेट 281.

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि राजस्थान वेट अधिनियम 2003 की धारा 65 एवं राजस्थान वेट नियम 2006 के नियम 48 के अनुसार किसी डिलर व संबंधि व्यक्ति पर शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जा सकती है जबतक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया जायें। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.05.2011 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार यह वर्तमान अपील निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर का आक्षेपित आदेश दिनांक 31.05.2011 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि "कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। तथा कर निर्धारण अधिकारी इस संबंध में विधिसम्मत निर्णय ले। अर्थात् तद्नुसार उक्त बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी फिर से नोटिस देकर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।"

6. उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.05.2011 को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई। किन्तु यहां यह उल्लेखित है कि अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 31.05.2011 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 26.07.2011 को कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान अपील निष्प्रभावी (infructuous) हो जाती है। अतः उक्त अपील निष्प्रभावी होने से अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

10/06/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य